भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1843

उत्तर देने की तारीख 31.07.2025

जनजातीय संग्रहालयों की स्थापना

+1843. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी:
श्री अमरसिंग टिस्सो:

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का किसी केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत असम के कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ जिलों में जनजातीय संग्रहालय या सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रस्तावों की स्थिति क्या है और इसके अंतर्गत निधि के आवंटन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जनजातीय क्षेत्रों में समेकित सांस्कृतिक विकास के लिए राज्य सरकार के साथ कोई समन्वय किया जा रहा है;

(घ) आंध्र प्रदेश के जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने देश में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के दस संग्रहालयों को मंजूरी दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) आंध्र प्रदेश में जनजातियों के वीरतापूर्ण और देशभक्तिपूर्ण कार्यों को सम्मानित करने के लिए स्थापित किए गए/स्थापित किए जाने वाले जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालयों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से **(ग):** वर्तमान में, किसी भी केंद्र प्रायोजित योजना के तहत असम के कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ जिलों में जनजातीय संग्रहालय या सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हालाँकि, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, केंद्र प्रायोजित योजना 'जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सहायता' के अंतर्गत, असम जनजातीय अनुसंधान संस्थान सहित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र (यूटी) में 29 जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस योजना के अंतर्गत, अनुसंधान एवं प्रलेखन गतिविधियों और प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, जनजातीय त्योहारों के आयोजन, अनूठी सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यात्राओं और जनजातियों द्वारा आदान-प्रदान यात्राओं के आयोजन से संबंधित प्रस्ताव तैयार किए जाते हैं ताकि उनकी सांस्कृतिक प्रथाओं, भाषाओं और राति रिवाजों (अनुष्ठानों) को संरक्षित और प्रसारित किया जा सके। टीआरआई मुख्य रूप से राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले संस्थान हैं।

(घ): आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, आंध्र प्रदेश में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों का विवरण **अनुलग्नक-I** पर है।

(ङ): जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) केंद्र प्रायोजित योजना 'जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता' के अंतर्गत औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष करने वाले और राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले जनजातीय लोगों के वीरतापूर्ण और देशभक्तिपूर्ण कार्यों की अभिस्वीकृति के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र को जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस योजना के अंतर्गत, मंत्रालय राज्य को अनुदान प्रदान करता है। राज्य को भूमि की व्यवस्था करनी होती है, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करनी होती है और एक निर्माण एवं क्यूरेशन एजेंसी के माध्यम से परियोजना का क्रियान्वयन करना होता है। अब तक, मंत्रालय ने 10 राज्यों में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए संग्रहालयों के निर्माण हेतु 11 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। स्वीकृत संग्रहालयों का विवरण, संग्रहालय का स्थान, अनुमोदित अनुदान निम्नानुसार हैं।

(रूपये करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य	स्थान	परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)	जनजातीय मंत्रालय द्वारा अनुमोदित अनुदान (करोड़ रुपये में)
1	झारखंड	रांची	34.22	25.00
2	गुजरात	राजपिपला	257.94	50.00
3	आंध्र प्रदेश	लम्बासिंगी	45.00	25.00
4	छतीसगढ़	रायपुर	53.13	42.47
5	केरल	वायनाड़	16.66	15.00
6	मध्य प्रदेश	छिंदवाड़ा	40.69	25.69
7		जबलपुर	14.39	14.39
8	तेलंगाना	हैदराबाद	34.00	25.00
9	मणिपुर	तामेंगलांग	51.38	15.00
10	मिजोरम	केल्सिह	25.59	25.59
11	गोवा	पोंडा	27.55	15.00

रांची, झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन 15 नवंबर, 2021 को और बादल भोई राज्य जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, छिंदवाड़ा और राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह, जबलपुर का उद्घाटन 15 नवंबर, 2024 को किया गया।

(च): आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू जिले के चिंतापल्ली मंडल में ताजंगी में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय को मंजूरी दी गई। 45.00 करोड़ रुपये का एक अनुमानित बजट (भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय से 'टीआरआई को सहायता' योजना के तहत 25.00 करोड़ रुपये और आंध्र प्रदेश सरकार से 20.00 करोड़ रुपये) स्वीकृत किया गया है।

अनुलग्नक-I

दिनांक 31.07.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1843 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

आंध्र प्रदेश में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों का विवरण

क्र.सं.	स्वतंत्रता सेनानियों के नाम	उस गांव का नाम जिसमें जन्म हुआ	गांव/स्थान का नाम जहां मृत्यु हुई	संघर्ष आंदोलन जिसमें जुड़े	स्वतंत्रता सेनानियों का महत्वपूर्ण योगदान
1	अल्लूरी सीताराम राजू पुत्र वेंकट राम राजू	पंडरंगी विशाखापत्तनम जिले के पद्मनाभमंडल में एक गांव है	विशाखापत्तनम जिले में मम्पा	रम्पा विद्रोह	1922 का रम्पा विद्रोह, जिसे मान्यम विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश भारत के मद्रास प्रेसीडेंसी के गोदावरी एजेंसी में उनके नेतृत्व में एक जनजातीय विद्रोह था। यह अगस्त 1922 में शुरू हुआ और मई 1924 में उनके आत्मसमर्पण और उनकी हत्या तक गुरिल्ला युद्ध का रूप ले लिया।
2	गम गनतम डोरा पुत्र बोग्गू डोरा	बट्टापानुकु गांव, चिंथापल्ली तालुका के मुनसाबा - लंका वीधि, विशाखापत्तनम जिला	शायद वलसाम्पेटा, कृष्णादेवीपेटामंडल, विशाखापत्तनम जिला	रम्पा विद्रोह (1922-1924)	स्वर्गीय श्री अल्लूरी सीताराम राजू के प्रमुख सहयोगी, रम्पा पिथुरी के नायक 1921-24 में विशाखापत्तनम और गोदावरी जिलों की पहाड़ी जनजातियों के विद्रोह। उन्होंने कृष्णा देवी पेटा, अडतीगला और अन्नावरम के पुलिस स्टेशनों पर हमला करने और उनके हमले अभियानों के लिए गोला-बारूद खरीदने में योगदान दिया। स्वर्गीय श्री अल्लूरी सीताराम राजू के प्रमुख सहयोगी, रम्पा पिथुरी के नायक 1921-24 में विशाखापत्तनम और गोदावरी जिलों की

					पहाड़ी जनजातियों के विद्रोह। उन्होंने कृष्णा देवी पेटा, अडतीगला और अन्नावरम के पुलिस स्टेशनों पर हमला करने और उनके हमले अभियानों के लिए गोला-बारूद खरीदने में योगदान दिया।
3	गम मल्लू डोरा पुत्र बोग्गू डोरा	बट्टापानुकु गांव, चिंथापल्ली तालुका के मुनसाबा - लंका वीधि, विशाखापत्तनम जिला	शायद वलसाम्पेटा, कृष्णादेवीपेटामंडल, विशाखापत्तनम जिला	रम्पा विद्रोह (1922-1924)	वह राजू का बायाँ हाथ था स्वर्गीय श्री अल्लूरी सीताराम राजू के प्रमुख सहयोगी, रम्पा पिथुरी के नायक - 1921-24 में विशाखापत्तनम और गोदावरी जिलों की पहाड़ी जनजातियों का विद्रोह, जो गांधीजी के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ समन्वयित हुआ था; उन्होंने कृष्णा देवी पेटा, अडटेगला और अन्नावरम के पुलिस स्टेशनों पर हमला करने और उनके हमले के अभियानों के लिए गोला-बारूद खरीदने में योगदान दिया। मौत की सज़ा सुनाई गई, जिसे बाद में आजीवन कारावास में बदल दिया गया; 13-1/2 साल की सज़ा काटी और विशाखापत्तनम में 3-1/2 साल की नज़रबंदी की अवधि काटी
4	कांकीपति येन्दुपादल पुत्र गुरवैय्या	पेद्दावलसा विशाखापत्तनम जिला	17-09-1923 को नादिमपालेम में पकड़ा गया और 17-9-1923 को	रम्पा विद्रोह (1922-1924)	

			मौत की सजा सुनाई गई, बाद में इसे आजीवन कारावास में बदल दिया गया		
5	कनकीपति कोठा दास बलैया पुत्र पतालू	लक्कवारापुकोटा (एल. कोटा)		रम्पा विद्रोह (1922-1924)	
6	कांकीपति येन्दु पदल, पुत्र सरभनानपादल	पेड्डावलसा	वह 13 ½ साल तक सेलुलर जेल में रहे और 3 ½ साल तक नजरबंद रहे	रम्पा विद्रोह (1922-1924)	
7	पोथुनी मलैया पुत्र लक्ष्मय्या	चपथिपालेम		रम्पा विद्रोह (1922-1924)	
8	संकोजी मुक्कडू मल्लैया पुत्र	सिंगण्णपल्लि		रम्पा विद्रोह (1922-1924)	रम्पा विद्रोह में श्री अल्लूरी सीता राम राजू के अनुयायी। उनका नाम 01-06-1923 को सरकारी राजपत्र में मान्यम विप्लवकारुलु के रूप में शामिल किया गया
9	गोकिरी येरेसु पुत्र लक्ष्मुडु	विशाखापत्तनम जिले के गनगर्ला पालेम, कोय्युरुमंडल	गनगरला पालेम के गांवों द्वारा कब्जा कर लिया गया	रम्पा विद्रोह (1922-1924)	रम्पा विद्रोह में श्री अल्लूरी सीता राम राजू के अनुयायी। उनका नाम 01-06-1923 को सरकारी राजपत्र में मान्यम विप्लवकारुलु के रूप में शामिल किया गया। वह महान धनुर्धरों में से एक है
10	बोनकुला मोदीगाडु पुत्र बुद्दुडु	चिंथलापुडी, विशाखापत्तनम जिला	कैप्चरडैट कोंथलम	रम्पा विद्रोह (1922-1924)	राजू के अनुयायियों में से एक
11	मुत्तदु बुद्दय्यादोरा पुत्र बोडिडोरा	विशाखापत्तनम जिले का कोय्युरू		रम्पा विद्रोह (1922-1924)	

12	सुंकारा कोंडेय ए पुत्र वीरय्या	विशाखापत्तनम जिले के गनगर्ला पालेम, कोय्युरुमंडल		रम्पा विद्रोह (1922-1924)	
13	बोनंगी पोथाराजू पुत्र चिन्नय्या	सरभन्नापालेम, कोय्युरू, विशाखापत्तनम जिला।		रम्पा विद्रोह (1922-1924)	
14	मोत्तदाम वीरय्या डोरा पुत्र सोलोबिंदोरा	गुडेम चिन्तपल्ली		रम्पा विद्रोह (1922-1924)	राजावोमिंगी में सैनिकों द्वारा रिहा किया गया
15	जीर्था गंटय्या पुत्र भीमुडु	गुडेम कोठा वीधी		रम्पा विद्रोह (1922-1924)	
16	पुजारी बंगरैया पुत्र बलय्या डोरा	पुजारी पाकलू, गुडेम, जी.के.वीधि (एम)		रम्पा विद्रोह (1922-1924)	
17	कांकीपति नादिमपदल पुत्र मेलुपदल	पेड्डावलासा, कोय्युरु(एम)		रम्पा विद्रोह (1922-1924)	
18	तिरुवनगिरि गोपन्ना पुत्र शेषय्या	मकावरम, कोय्युरु(एम)		रम्पा विद्रोह (1922-1924)	
19	मोत्तादाम लिंगन्नाडोरा पुत्र सरभन्नदोरा	अन्नवरम	रम्पा विद्रोह में भाग लिया	रम्पा विद्रोह (1922-1924)	
20	गुडी येंडय्या	भोजमपालेम	रम्पा विद्रोह में भाग लिया	रम्पा विद्रोह (1922-1924)	
21	बेदला बलय्या	गुडेम		रम्पा विद्रोह (1922-1924)	
22	बेदला कोथन्ना	गुडेम		रम्पा विद्रोह (1922-1924)	
23	मोट्टादम बोडिडुरा	डोकुलुरू		रम्पा विद्रोह (1922-1924)	

24	गोकिरीवलसय्या	मकावरम, कोय्युरु(एम)		रम्पा विद्रोह (1922-1924)	
25	बोनकुला गुन्नाडू	विशाखापत्तनम जिले के सरभन्नापालेम, कोय्युरू (एम)।		रम्पा विद्रोह (1922-1924)	
26	कनकीपाटी कट्टुपदल	थिरुमामिडी		रम्पा विद्रोह (1922-1924)	
27	सगीना कोथन्ना पडल पुत्र वीरन्नपादल	अंतदा, जी.के. वीडी (एम) विशाखापत्तनम जिला		रम्पा विद्रोह (1922-1924)	
28	थग्गी वीरय्याडोरा पुत्र वीरय्यादोरा	बंदा बयालु, चिंतापल्ली (एम) विशाखापत्तनम जिला	13/5/1925 को अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई	रम्पा विद्रोह (1922-1924)	15/8/1972 को भारतीय स्वतंत्रता की रजत जयंती की पूर्व संध्या पर भारत सरकार से ताम्र पत्र प्राप्त हुआ।
29	कोर्राबू कोटाय्या, पुत्र पोन्नप्पा नायडू	चिंथपल्ली मंडल विशाखापत्तनम जिला	रम्पा स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया	रम्पा विद्रोह में अल्लूरी सीता राम राजू के अनुयायी जिन्हें अल्लूरी सीता रामाराजू की मृत्यु के बाद अंडमान जेल में कैद कर दिया गया था।	धारा 121 आईपीसी के तहत दोषी करार, 13/5/1925 को आजीवन निर्वासन की सजा सुनाई गई और 20-11-1928 को अंडमान निर्वासित होने से पहले राजमुंदरी जेल, बोर्स्टल स्कूल, तंजावुर और मद्रास जेल में कैद किया गया।
30	बोनंगी पांडु पडल पुत्र अंदय्या	गोंडीपकालू, विशाखापत्तनम जिले के चिंतापल्ले मंडल का गांव	ब्रिचगंज गांव, पोर्ट ब्लेयर	रम्पा विद्रोह में अल्लूरी सीता राम राजू के अनुयायी जिन्हें अल्लूरी सीता रामाराजू की मृत्यु के बाद अंडमान	विशाखापत्तनम जिले के एजेंसी क्षेत्र में अल्लूरी सीताराम राजू द्वारा छेड़े गए 1922-24 के रम्पा विद्रोह में सक्रिय भाग लिया। ब्रिटिश पुलिस, सरकार के साथ कई झड़पों में भागीदार। अपनी गिरफ्तारी में

				जेल में कैद कर दिया गया था।	सहायक सूचना देने के लिए 100/- रुपये का इनाम घोषित किया, मई 1924 में गिरफ्तार। धारा 121 एल.पी.सी. के तहत दोषी ठहराया गया और 13.05.1925 को आजीवन निर्वासन की सजा सुनाई गई, राजमुंदरी, कन्नानोर, तिरुचिरापल्ली, पालमूथा, मद्रास में प्रताड़ित किया गया और अंततः 25.04.1926 को अंडमान की सेलुलर जेल में निर्वासित कर दिया गया। पोर्ट ब्लेयर से ब्रिच गंज गांव में बस गए।
31	गोलिविल्ली सन्यासय्या पुत्र चितुकुलय्या	मलमकवरम, चिंतापल्ली (टी), विशाखापत्तनम जिला		रम्पा विद्रोह में अल्लूरी सीता राम राजू के अनुयायी जिन्हें अल्लूरी सीता रामाराजू की मृत्यु के बाद अंडमान जेल में कैद कर दिया गया था।	
32	कुंचेट्टी सन्यासी पुत्र बबय्या	विशाखापत्तनम जिले के भोदिरल्लू, नरसीपत्तनम तालुक	10-5-1924 को मलमकरम और चिंतापल्ली घाट के बीच कब्जा कर लिया गया	रम्पा विद्रोह में अल्लूरी सीता राम राजू के अनुयायी जिन्हें अल्लूरी सीता रामाराजू की मृत्यु के बाद अंडमान जेल में कैद	धारा 121 आईपीसी के तहत दोषी करार, 13/5/1925 को आजीवन कारावास की सजा - राजमुंदरी और दंडात्मक जेल मद्रास में कैद और अंततः अंडमान ले जाया गया।

				कर दिया गया था।	
33	अंबाती लक्ष्मैया पुत्र येर्रय्या	कोय्युरु, चिंतापल्ली तालुका	उन्हें अंडमान में कैद किया गया था और संभवतः जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। धारा 121 आईपीसी के तहत दोषी करार दिया गया, सजा सुनाई गई और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई	रम्पा विद्रोह में अल्लूरी सीता राम राजू के अनुयायी जिन्हें अल्लूरी सीता रामाराजू की मृत्यु के बाद अंडमान जेल में कैद कर दिया गया था।	रामाराजू के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया
34	कोराबुपोट्टय्या, पुत्र थविति नायडू	चिंतापल्ली तालुक, विशाखापत्तनम जिला	उन्हें कैद कर लिया गया और चिंतलई में उनकी मृत्यु हो गई	रम्पा विद्रोह में अल्लूरी सीता राम राजू के अनुयायी जिन्हें अल्लूरी सीता रामाराजू की मृत्यु के बाद अंडमान जेल में कैद कर दिया गया था।	स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया
35	सुंकरी पोट्टय्या पुत्र कोटय्या	तेगलामेट्टा, चिंतापल्ली (टी), विशाखापत्तनम जिला		रम्पा विद्रोह में अल्लूरी सीता राम राजू के अनुयायी जिन्हें अल्लूरी सीता रामाराजू की मृत्यु के बाद अंडमान जेल में कैद कर दिया गया था।	राजमुंदरी, पेनिटेंटरी जेल मद्रास में कैद।
36	काकुरु लक्ष्मय्या पुत्र सोमय्या	मलमकवरम, चिंतापल्ली		रम्पा विद्रोह में अल्लूरी सीता राम	

		(टी), विशाखापत्तनम जिला		राजू के अनुयायी जिन्हें अल्लूरी सीता रामाराजू की मृत्यु के बाद अंडमान जेल में कैद कर दिया गया था।	
37	सेग्गी एरय्या पुत्र गंगाय्या	नादिमपालेम, चिन्तपल्ली (टी)		रम्पा विद्रोह में अल्लूरी सीता राम राजू के अनुयायी जिन्हें अल्लूरी सीता रामाराजू की मृत्यु के बाद अंडमान जेल में कैद कर दिया गया था।	
38	वेजीराजू सत्यनारायण राजू, पुत्र वेंकटनारदन्ता राजू	कुमुदवल्ली, भीमावरम तालुक, पश्चिम गोदावरी जिला	सेलुलर जेल अंडमान	रम्पा विद्रोह में अल्लूरी सीताराम राजू के अनुयायी जिन्हें अल्लूरी सीताराम राजू की मृत्यु के बाद अंडमान जेल में कैद कर दिया गया था।	वह एक बहादुर नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी और किर्राबू कोंडापल्ली में ब्रिटिश सेना पर कई बार हमला किया। 13-5-1925 को राजमुंदरी, तिरुचिरापल्ली और अंत में अंडमान की सजा सुनाई गई।
39	करम तम्मन्ना डोरा	रेकापल्ली, भद्राचलम के पास यह मध्य प्रांत था - यानी मध्य प्रदेश	1880 में अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिया गया	प्रथम रम्पा विद्रोह (1839 से 48) का नेतृत्व बंदपल्ली के कोया मुत्तदार करम तम्मन्ना डोरा ने किया था।	अंग्रेजों ने मुगलों द्वारा स्थापित मुत्तदार प्रणाली (ग्राम प्रधान) को आगे बढ़ाया तथा मुत्तदारों के ऊपर मुनसबदारों की नियुक्ति करके इसे संशोधित किया। पांच अन्य मुत्तदारों के समर्थन से, तमन्ना डोरा

					ने 30 लोगों का एक दुर्जेय सशस्त्र समूह बनाया और कई हमलों का नेतृत्व किया। इतिहासकार डेविड अर्नोल्ड ने अपनी पुस्तक 'रिबेलियस हिलमेन: द गुडेम-रम्पा राइजिंग 1839-1924' में बताया है कि तमन्ना डोरा द्वारा किया गया सबसे घातक हमला 1840 में हुआ था, जिसमें उसने एक पुलिस दल पर घात लगाकर हमला किया था, जिसमें 12 पुलिसकर्मी मारे गए थे और 20 अन्य घायल हो गए थे। 1848 में उनके रहस्यमय ढंग से गायब हो जाने तक, अगले आठ वर्षों तक वे पूरे एजेंसी क्षेत्र में नायक बने रहे।
40	मर्री कामय्या (कोंध)	गरुड़पल्ली, हुकुमपेटा मंडल, विशाखापत्तनम		स्वतंत्र क्रांति	मरी कामय्या का जन्म एक धनी किसान परिवार में हुआ था, कामय्या स्वतंत्रता आंदोलन के प्रभाव में एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गए, जिसने एजेंसी क्षेत्र में रफ्तार पकड़ी। सरकार और गिरोह ने मिलकर उनके गृहनगर गरुड़पल्ली को आग लगा दी क्योंकि कामय्या और उनके अनुयायियों, जिन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, को व्यसनों से दूर रहने के लिए प्रेरित किया गया था। कामय्या से संबंधित भूमि, मवेशी

					और अन्य संपत्ति जब्त कर ली गई और नीलाम कर दी गई। कामय्या, जो तब से छिप गया है, और उसके अनुयायी गुफाओं में छिप गए और आंदोलन को आगे बढ़ाया। कड़ी नजरबंदी का सामना करने के बाद, 360 जनजातीय परिवारों को फिर से एकजुट किया गया और उनके नेतृत्व में गरुड़पल्ली के पास बीटू गुरुवु में रखा गया। गाँव का नाम अब कामय्यापेटा है। हालाँकि, झोपड़ियाँ भी ध्वस्त कर दी गईं और लोगों के साथ कामय्या परिवार भी तितर-बितर हो गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा इतने प्रयास किए गए लेकिन कामय्या की गिरफ्तारी का कोई कारण नहीं मिल पाया। कामय्या को 1940 में वन अधिकारियों, पुलिस और मुत्तदारों द्वारा बड़े पेड़ों को काटने और कांग्रेस की बैठकों और दूर-दूर से आने वाले कार्यकर्ताओं की सुविधा के लिए झोपड़ियाँ बनाने की साजिश में गिरफ्तार किया गया था। रिहा होने के बाद, उनकी हिरासत अवधि बढ़ गई और वे अपने परिवार के साथ छिप गए। जंगल में गुप्त ठिकाने बदलते हुए सात वर्ष बीत गए। 5 मई,

					1959 को उनकी मृत्यु हो गई।
41	गरीमेला मंगा राज़ू	लगराई, राजवोम्मंगीमंडल		लागराई पिटोरू	भूमि अधिकारों और मद्रास वन अधिनियम के खिलाफ आंदोलन चलाया गया।
42	मेट्टादम वीराईडोरा कोंडा डोरा	लगराई, राजवोम्मंगीमंडल		लागराई पिटोरू	उन्हें मद्रास वन अधिनियम के विरुद्ध राजावोम्मंगी थाने में गिरफ्तार किया गया।
43	द्वारबंदला चंद्रय्या (कोंडा कापू)	रेकापल्ली			विशाखा, खम्मम और पूर्वी गोदावरी - 1890 के समय मद्रास वन अधिनियम के विरुद्ध भूमि अधिकार।
44	कुदुमुला पेद्दा बयाना (पेद्दाबैलोड्) पुत्र पपन्ना	करुदापल्ली दोर्नल मंडल, कुरनूल जिला	थुम्मलाबैलु गांव वन क्षेत्र	चेंचू विद्रोह	उन्होंने थुम्माला गांव में मद्रास राज्य में उत्तरदायी सरकार के लिए आंदोलन में भाग लिया। इस आंदोलन के परिणामस्वरूप 25 अप्रैल 1938 को आंदोलनकारियों पर पुलिस ने अंधाधुंध गोलीबारी की। गोलीबारी में मारे गए लोगों में बयन्ना (भीमिया) भी शामिल थे।
45	हनुमानथप्पा	कुरनूल जिले के कोट्टापल्ली विलगाए और मंडल	थुम्मलाबैलु गांव वन क्षेत्र	चेंचू विद्रोह	उन्होंने थुम्माला गांव में मद्रास राज्य में उत्तरदायी सरकार के लिए आंदोलन में भाग लिया। मैट्रिक तक शिक्षित एक किसान ने मद्रास राज्य में उत्तरदायी सरकार के लिए लोकप्रिय आंदोलन में भाग लिया। इस आंदोलन के परिणामस्वरूप 25 अप्रैल 1938 को नल्लामाला जंगल में

					आंदोलनकारियों पर पुलिस की गोलीबारी की घटना हुई। गोलीबारी में मारे गए लोगों में हनुमंथप्पा भी शामिल थे।

*****